-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनाँक- 21.07.2026**

❖ थाना रूरा पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) की प्रभावी कार्रवाई, ऑनलाइन साइबर ठगी/गलत खाते में स्थानांतरित धनराशि के तीन प्रकरणों में कुल ₹ 63,349 वापस कराये।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में प्राप्त 03 अलग-अलग शिकायतों पर प्रभावी तकनीकी एवं वैधानिक कार्रवाई करते हुए कुल **₹63,349/-** की धनराशि शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में वापस कराई गई।

प्रकरण-1 : स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगी

शिकायतकर्ता श्री सौरभ द्विवेदी पुत्र श्री राजेश द्विवेदी, निवासी रामनगर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 15.11.2025 को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अज्ञात साइबर ठग द्वारा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके बैंक खाते से ₹28,100/- की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त कर ली गई थी। थाना रूरा पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्रवाई करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹28,100/- शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई।

प्रकरण-2 : लोन दिलाने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी

शिकायतकर्ता श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री जयराम, निवासी शास्त्री नगर, कस्बा रूरा, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 23.03.2026 को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर लोन दिलाने का प्रलोभन देकर उनके बैंक खाते से ₹23,249/- की धनराशि साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से निकाल ली गई थी। थाना रूरा पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा आवश्यक तकनीकी कार्रवाई एवं बैंक समन्वय के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि ₹23,249/- शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई।

प्रकरण-3 : गलत बैंक खाते में स्थानांतरित धनराशि वापस कराई गई

शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार शुक्ला पुत्र श्री अनिल कुमार शुक्ला, निवासी ग्राम भटौली, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 11.05.2026 को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा त्रुटिवश ₹12,000/- की धनराशि गलत बैंक खाते में स्थानांतरित हो गई थी। थाना रूरा पुलिस (साइबर

हेल्प डेस्क) द्वारा कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित बैंक से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण धनराशि ₹12,000/- शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई।

पुलिस की कार्यवाही से शिकायतकर्ताओं ने थाना रूरा पुलिस का धन्यवाद दिया।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 63,349

1.मोबाइल फोन खोने पर सीईआईआर पोर्टल व संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करें- https://www.ceir.gov.in

2.आनलाइन फ्राड खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करे।

धनराशि वापस कराने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
3. हे0 का0 40 श्याम सुन्दर